

FORM No. IH
फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

त. S.D.O. (ACEM) कालासोम, गणेश (महाराष्ट्र)
 वनाम. फज्जर वगैरे एवं
 दाना 88-29-5/10/2017 नं. 8/17 सन.

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
4 5 17	<p>वकील वादीगण उपलब्ध, प्रतिवादी जज लामन वाद तामील प्राप्त होकर पनावली में शामिल की प्रति 0 सं 4 व 5 को अदालत लखनौ नगर 298 नकल दी जाये। प्रति सं 1 से 3 काबजूद सचवा उपलब्ध नहीं, अतः उनके विरुद्ध एक नया - कार्यवाही की जाती है। पनावली वाले जनार्दन सलमा देवानं 18-5-17 को देवा है।</p> <p>18-5-17 तलासोम कालासोम नगर 6-6-17 को देवा</p>	
17	<p>आज पनावली राज्य लोक कालसोम अदालत न्याय अदालत द्वार 2017 क्रेम सुं डेली में प्रस्तुत हुई। वादी हरचलन वचन एवं अन्य गवाहान उपलब्ध। सज्जे अर्थ के वादी ने सुना गया तथा पनावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत राज्य इमिलेस के अवलोकन से यह एवमें है कि वि आ सं 218 व 0-85 वाले आन संख्य तब नगर प्रतिवादी। लग 3 से वादी के चित्त। राम विलडी कुल सुला क्रेम अजद सा वलवली ने दि 2-7-83 को क्रेम चित्त आना ला के होता है। हाल गवाकंदी से 2070-73 में वि आ प्रति सं 1 से 3 को अदालत लखनौ में ही पाया जाता है। क्रेम में उपलब्ध प्रमाणों के</p>	<p>सुराजि 57 गोवर्धन विलक</p>



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जा
----------------	------------------------------------	--------------------------------------

सत्कार लक्ष्मीनगर नगर के वि. भा. कस्बे 47
 प्रो. होना बताया, जिसकी जांचाई हुई
 राज्य सरकार ने सुझाव है कि मक. मं. में हुई
 है। नतीजे नदी के विना ने वि. भा. के जांचाई
 है इम लक्ष्मीनगर जांचाई किया है, जिसकी -
 वि. भा. ने कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी
 जारी पत्र दिनांक 30.3.12 के अनुसार आनंदा
 नदी के द्वारा किया जायेगा। (अनु. आदेश है।
 कि वादीगण को दावा वि. भा. किया जाता है।
 तथा वादीगण पत्र दिनांक 30.3.12 के अनुसार
 में पत्रावली के मा. लक्ष्मीनगर में, पत्रावली
 में शामिल दस्तावेजों को फोटो उचित लेना
 रूल नकल वाकिफ दि. में जारी की अनुमान
 की जाती है पत्रावली के लक्ष्मीनगर मु. भा. होकर
 दाखिल करा है।

(नि. भा. लक्ष्मीनगर)

लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. जज
 नगर (.....)